

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक : 1171-ज.पं.766:4:नि.1:72,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 1972

शासन के सम्स्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ, वेतन निर्धारण एवं अवकाश के प्रयोजनों के लिये दिये जाने बाबत।

मध्यप्रदेश मूल भूत नियम 65 के नीचे दिये गये जी.आर.ओ.2 के अनुसार सेवा से त्यागपत्र देने पर, यद्यपि उससे तुरंत पश्चात् पुनर्नियुक्ति हो जाती है, अवकाश के प्रयोजन के लिये पूर्व सेवाएं जप्त हो जाती हैं और पुनर्नियुक्ति पर पूर्व में की गई सेवा के फलस्वरूप अर्जित किया हुआ अवकाश समाप्त हो जाता है । भारत सरकार ने उनके मूल भूत नियम 65 के तहत यह निर्णय लिया है कि, जिन प्रकरणों में त्यागपत्र सिविल सर्विस रेग्यूलेशन की धारा 418(बी) के अधीन होने से त्यागपत्र को, त्यागपत्र नहीं माना जाता, ऐसे प्रकरणों में अवकाश कारणों के लिये त्यागपत्र की पूर्व सेवा निरंतर मानी जावेगी । अतः राज्य शासन ने भी निर्णय लिया है कि ऐसे त्यागपत्र के पूर्व की सेवाएं, जो कि सिविल सर्विस रेग्यूलेशन की धारा 418(बी) के अधीन हो, अवकाश कारणों के लिये त्यागपत्र के पूर्व की सेवाएं निरंतर मानी जावेगीं अर्थात् पूर्व में की गई सेवा संबंधी अवकाश का लेखा (बैलेंस) नई सेवा के शेष के हिसाब में जोड़ लिया जायेगा।

2. इसी प्रकार भारत सरकार ने उनके मूलभूत नियम 22 के अधीन यह निर्णय लिया है कि, ऐसे प्रकरणों में जहां शासकीय सेवक अपने ही विभाग से अपना (शासन के अधीन) अन्य विभागों में किसी पद के लिये योग्य मार्ग द्वारा आवेदन पत्र देते हैं और यदि उनका चयन उस पद के लिये हो जाता है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से उन्हें अपने पूर्व पद से त्यागपत्र देने के लिये कहा जाए तो, त्यागपत्र के पूर्व की सेवाओं का लाभ वेतन निर्धारण के लिए, यदि नियमों के अंतर्गत अन्यथा देय हो तो, त्यागपत्र को एक तकनीकी औपचारिकता मानते हुए किया जाए । भारत सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय पर विचार कर राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि, राज्य शासन के अधीन ऐसे शासकीय सेवक जो कि अपने ही द्वारा (राज्य शासन के अधीन) अन्य विभागों में किसी पद के लिये उचित माध्यम से आवेदन पत्र देते हैं और यदि उनका चयन आवेदित पद पर हो जाता है, किन्तु प्रशासनिक कारणों से यदि उन्हें अपने पूर्व पद का त्यागपत्र देने को कहा जाता है तो, त्यागपत्र को एक तकनीकी औपचारिकता मानते हुए, उन्हें पूर्व सेवाओं का लाभ, अन्यथा नियमों के अन्तर्गत देय हो तो, वेतन निर्धारण के लिये भी दिया जायेगा । ऐसे प्रकरणों में वेतन, मूलभूत नियम, 27 का उपयोग कर, निर्धारित किया जाएगा।

3. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियम के मामलों में त्यागपत्र मंजूर करने के आदेशों में यह बात स्पष्टतः बताई जानी चाहिये कि कर्मचारी ने अन्य नियुक्ति में कार्यग्रहण करने के लिये उचित अनुमति लेकर, त्यागपत्र दिया है और उसे त्यागपत्र की पूर्व सेवाओं का लाभ मिलेगा । इन आदेशों का विवरण, उपर्युक्त प्रमाणिकरण सहित, संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में नोट किया जाना चाहिये । इसके लिये आलम से भंजुरी जारी करना आवश्यक नहीं है ।

4. इन निर्णयों को मध्य प्रदेश मूलभूत नियमों में सम्मिलित किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता/-

(देवी प्रसाद)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग